**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2569**

**19 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**

**मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में पदों का सृजन**

**2569. डा. अनिल कुमार साहनी:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस संगठन का मुखिया मुख्य अभियंता (इंजीनियर-इन-चीफ) होता है ;

(ख) क्या मुख्य अभियंता की सिफारिश/सहमति के बिना मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में अपर महानिदेशक (तट रक्षा/उत्तरी कमान/पूर्वी कमान) के तीन पद सृजित कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा किस प्राधिकार के तहत यह कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि पूर्वी/उत्तरी कमान में निर्मित किए जाने वाले सेना अस्पताल हेतु निर्धारित मुख्य निर्माण इंजीनियर का पद सृजित किए बिना वर्ष 2016 में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में चीफ इंजीनियर (सिविलियन) के दो पद सृजित किए गए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किस प्राधिकार के तहत इस प्रकार की कार्रवाई की गई ?

**उत्तर  
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष भामरे)**

**(क): जी, हां।**

**(ख) और (ग): एमईएस में अपर महानिदेशक के पद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग समीक्षा के भाग के रूप में सृजित किए गए हैं।**

**(घ) और (ड.): मुख्य इंजीनियर के पद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग समीक्षा के भाग के रूप में सृजित/संवर्द्धित किए गए हैं। मुख्य इंजीनियरों/मुख्य निर्माण इंजीनियरों के पदों पर कार्य संगठन की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्णीत किया जाता है।**

**\*\*\***